

संख्या- 1/स्था0 (1) 702/2017 -1428


बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

आदेश

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन गठित निम्नांकित क्षेत्रीय कार्यालयों में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में स्थानीय व्यवस्था के तहत कार्यहित में बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम- 84 के तहत स्थायी पदस्थापन होने तक निम्नलिखित पदाधिकारी को कार्यालयों के स्थापना मद के निकासी एवं व्ययन हेतु प्राधिकृत किया जाता है :-

| क्र० | रिक्त पद/कार्यालय का नाम | प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम/पदनाम |
|------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर | डॉ० राम किंकर सहायक निदेशक (सामान्य), क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर |
| 2 | विशेष उप निदेशक (पशु विकास), वृहत्त पशु विकास परियोजना (मुख्यालय स्तर), भागलपुर | डॉ० राम किंकर सहायक निदेशक (सामान्य), क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर |



(ब्रजेश्वर पाण्डेय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 1/स्था0 (1) 702/2017- 1428

/ पटना-15,दिनांक- 25/4/18


प्रतिलिपि:- महालेखाकर (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वे० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदा०, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 1/स्था0 (1) 702/2017- 1428

/ पटना-15,दिनांक- 25/4/18

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/ जिला पदा०, भागलपुर/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/ विशेष उप निदेशक (पशु विकास), वृहत्त पशु विकास परियोजना (मुख्यालय स्तर), भागलपुर/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा पदा०, प्रशाखां- 2/विभागीय आई० टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।


25/4/18